

मौर्यकाल में कृषि : एक अध्ययन

संतारा देवी

शोधकर्त्री इतिहास एवं पुरातत्व विभाग चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, सिरसा

डॉ. नीलम रानी सहायक आचार्य

“ शोध निर्देशिका : इतिहास एवं पुरातत्व विभाग चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, सिरसा
शोध सार :

यह शोध मौर्यकाल (322 ई.पू. से 185 ई.पू.) की अर्थव्यवस्था में कृषि के अभूतपूर्व महत्व पर प्रकाश डालता है। मौर्य साम्राज्य की आर्थिक संरचना का प्रमुख आधार कृषि थी, जिससे न केवल जनसंख्या की आवश्यकताएँ पूरी होती थीं, बल्कि राज्य का राजस्व भी सुनिश्चित होता था। इस शोध में मौर्य शासकों द्वारा कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों, जैसे नहरों का निर्माण, जल प्रबंधन, और सिंचाई प्रणाली के विकास पर गहन अध्ययन किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित कृषि करधान नीति ने राज्य की आय को स्थिर किया, और इसी आधार पर राज्य की अन्य आर्थिक गतिविधियाँ भी संचालित होती थीं। यह शोध मौर्यकालीन कृषि के सामाजिक और राजनीतिक प्रभावों को भी समझने का प्रयास करता है, जिसमें किसानों की स्थिति, कृषि श्रमिकों की भूमिका और कृषि से जुड़े व्यापार के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया है। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका केवल उत्पादन और कर तक सीमित न रहकर, सामाजिक स्थिरता और राजनीतिक मजबूती की भी नींव थी, जिसने मौर्य साम्राज्य को सशक्त और समृद्ध बनाया। मुख्य शब्द : कृषि, सभ्यता, क्रान्तिकारी, राजस्व, वाणिज्यीकरण, सकारात्मक, अर्थव्यवस्था, अभूतपूर्व, आदि।

विषय विस्तार:

भारत में मौर्यों द्वारा चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में एक सर्वाधिक विस्तृत व विशाल साम्राज्य का निर्माण किया गया था।

¹ इस से पूर्व के राजवंशों में नन्दों ने भी मगध को भारत में सर्वोच्चता स्तर पर ला दिया था और इसका विस्तार किया था। परंतु राज्य में व्याप्त कुशासन के कारण नन्द वंश मगध को शक्ति की सर्वोच्चता तक नहीं पहुँचा सका। इसके विपरीत मौर्यों ने वह सभी प्राप्त किया, जिसे नन्द प्राप्त करने में विफल रहे। इन्होंने भारत में विशाल साम्राज्य स्थापित किया, जो कि लगभग पूर्ण भारत में फैला था²। इसके अलावा मौर्यवंशी शासकों ने अपने प्रशासन एवं जनहित के कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिस कारण भारतीय इतिहास में उनका एक अनूठा स्थान बना हुआ है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के साथ ही भारत के इतिहास का क्रमबद्ध विवरण शुरू होता है। इसी काल में भारत के विदेशियों से संबंध शुरू हुए और भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रचार-प्रसार विदेशों में हुआ³। इसी समय भारत में राष्ट्रीय एकता का सूत्रपात हुआ और सुसंगठित शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। मौर्य साम्राज्य की स्थापना का श्रेय चाणक्य एवं इनके शिष्य चन्द्रगुप्त को जाता है। 'चाणक्य' तक्षशिला के पास रहने वाले एक ब्राह्मण थे। इनका वास्तविक नाम "विष्णुगुप्त" था। इनका गोत्र 'कुटिल' था, जिस कारण इन्हें 'कौटिल्य' भी पुकारा जाता था। ये राजनीति के पारंगत पंडित व प्रबल कूटनीतिज्ञ थे⁴। चाणक्य की कूटनीति और चन्द्रगुप्त के शौर्य ने नन्द वंश के अंतिम शासन घनानन्द का उन्मूलन कर मौर्य वंश की नींव रखी⁵। चन्द्रगुप्त मौर्य ने गद्दी पर बैठने के पश्चात् सबसे पहले सम्पूर्ण आर्यावृत्त (उत्तर भारत) को विजय किया, जिसमें सुदूर पश्चिम और पूर्व के प्रान्त भी शामिल थे। इस समय साम्राज्य की सीमा पश्चिमोत्तर में हिन्दुकुश से दक्षिण-पूर्व में बंगाल की खाड़ी और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक थी⁶। चन्द्रगुप्त के पश्चात् उसके पुत्र 'बिन्दुसार' और पौत्र 'अशोक' ने न केवल साम्राज्य को सुसंगठित किया वरन् उसका अत्याधिक विस्तार भी किया। सोलह महाजनपदों में से मगध की भौगोलिक स्थिति बड़ी उपयुक्त थी। क्योंकि मगध साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर गंगा नदी बहती थी। नदियों का उपयोग रक्षा, संचार और व्यापार के लिये किया जाता था⁷। इस नदी घाटी के कारण मगध की भूमि पर्याप्त उर्वर थी। मगध की आरम्भिक राजधानी 'राजगृह' से दक्षिण में कुछ दूरी पर लोहे के समृद्ध भंडार थे। लोहे का समृद्ध भण्डार आसानी से उपलब्ध होने के कारण मगध के शासक अपने क्षेत्र के लिए अच्छे कृषि औजार तैयार करा सके, और प्रभूत कृषि उत्पादन ने शिल्प व उद्योगों को बढ़ावा दिया⁸। गंगा घाटी पर नियंत्रण से जहाँ एक ओर उसे समृद्ध बनाया वहीं आर्थिक सम्पन्नता ने सैन्य श्रेष्ठता के लिये संसाधन उपलब्ध कराये। राजनीतिक एकीकरण का जो कार्य हर्यक्वंशीय नरेशों ने प्रारम्भ किया था उसे मौर्यों ने पूर्ण किया। चन्द्रगुप्त मौर्य और उनके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में कृषि का विकास, भूमि सुधार, सिंचाई प्रबंधन और किसानों की स्थिति में सुधार पर विशेष

ध्यान दिया गया था। मौर्य शासक न केवल कृषि को सुदृढ़ करने के प्रति जागरूक थे, बल्कि उन्होंने इसे राजस्व के मुख्य स्रोत के रूप में भी स्थापित किया।

आर्थिक स्थिति:

मौर्य काल में अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से कृषि पर आधारित थी। जिसके प्रमाण हमें 'कौटिल्य' के अर्थशास्त्र से प्राप्त होते हैं जिसमें कृषि को व्यवस्थित ढंग से कराने एवं इसके उत्पाद में वृद्धि को राजा के कर्तव्य और दायित्वों में शामिल किया गया था⁹ जिसके कारण तत्कालीन शासक वर्ग कृषि को उन्नत बनाने के लिए यथासम्भव प्रयासरत रहते थे। । इस काल की सुख समृद्धि, भारतीय कृषि व्यवस्था का उल्लेख ग्रीक लेखकों ने भी किया है और इसलिए यहां के किसानों की स्थिति को उन्होंने उत्तम कोटि का ठहराया है¹⁰। 'स्ट्रेबो' के अनुसार राजा प्रतिवर्ष, वर्ष के प्रारम्भ में विशाल सभा का आयोजन करता था और उन लोगों को पुरस्कार देता था जो कृषि में अच्छी फसल के लिए कोई नवीन उपाय खोजा करते थे¹¹। राजा का यह प्रयास किसानों को अच्छी खेती के लिए प्रोत्साहित करना ही रहता था। यही नहीं साम्राज्य के दूर-दूर तक फैले भागों की सुरक्षा तथा विशाल उत्पादक वर्ग को नियंत्रण में रखने के लिए कोष में समुचित अधिशेष बनाए रखना भी आवश्यक था। अतः मौर्य शासकों ने समस्त आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में रखा, जिससे कृषि उन्नतावस्था में पहुंची। राजकीय फार्म राज्य की आय के मुख्य स्रोत माने जाते थे¹²। औजारों में धातु के व्यापक प्रयोग के कारण किसान अपनी आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन करने में सक्षम हो गये। यही नहीं बड़े पैमाने पर कृषि विस्तार होने से कृषि कार्यों में दासों, मजदूरों का भी नियोजन किया जाने लगा, जिससे तत्कालीन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भारी परिवर्तन आया। राज्य द्वारा अधिकांश भागों में सिंचाई प्रबन्ध करना, वर्ष में कई फसलें लेना आदि स्पष्ट करते हैं कि कृषि व्यवसाय उन्नतावस्था में था। निःसन्देह किसानों की स्थिति में भी सुधार हुआ।

भू-व्यवस्था:

"अर्थशास्त्र" में भूमि के चार प्रकार बताए गए हैं— निवास भूमि (जिसमें गृह, ग्राम और नगर सम्मिलित थे), कृषि भूमि, चारागाह तथा जंगल व अकृषित भूमि, इसे राजा स्वेच्छा से चारागाह भी बना सकता था¹³। इनके अतिरिक्त 'कौटिल्य' ने नम एवं समतल भूमि को कृषि के लिए अधिक उपयोगी बताया है क्योंकि इसमें कम परिश्रम तथा कम जल में ही कृषि प्रारम्भिक तथा परवर्ती दोनों फसलें उगा सकते थे¹⁴। भूमि पर स्वामित्व किसका था, इस सम्बन्ध में "अर्थशास्त्र" में कई जगह यह संकेत मिलता है कि भूमि पर किसानों का स्वामित्व था। 'कौटिल्य' के अनुसार यदि किसी कृषि की खड़ी फसल को पशुचर जाए तो अन्न का दुगुना दाम खेत के मालिक को दिया जाएगा और यदि कोई छिपकर अपने पशु से किसी का

खेत चरवाए, तो उस पर बारह पण का जुर्माना लगाया जाता था। इसके साथ ही यदि कोई अपने पशु किसी के खेत में चरने के लिए छोड़ दे तो, उस पर 24 पण का जुर्माना था। इसी प्रकार खेतों में कोई नुकसान होने पर रखवाले पर भी इतना ही पण दण्ड वसूलने का विधान था। खेतों की बाड़ टूट जाने पर रखवाले पर दुगुना दण्ड था। घर, खलियान और बाड़ से घिरी हुई जगहों का अन्न यदि पशु खा जाए तो, हानि के बराबर का मूल्य किसानों को दिया जाता था¹⁵। अतः उपर्युक्त उदाहरण खेतों पर किसानों के स्वामित्व को दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त भिन्न-भिन्न कृषिकों के खेतों का सीमांकन मेढों, बाड़ इत्यादि द्वारा किया जाता था और यदि इन सीमा चिन्हों का कोई अतिक्रमण कर दें तो उसको दण्ड दिया जाता था¹⁶। यही नहीं किसान अपने खेत को गिरवी रख सकता था, बटाई पर दे सकता था अथवा बेच सकता था। किसी को जबरन अपने खेत से बेदखल करना दण्डनीय अपराध समझा जाता था¹⁷। 'कौटिल्य' के अनुसार किसी दूसरे के खेत पर खेती करना अथवा उन्नति के लिए किए गए प्रयास स्वामित्व का अधिकार नहीं देता है, अर्थात् जिसका खेत पर स्वामित्व है वही उसका मालिक है¹⁸। इन सब के अतिरिक्त अर्थशास्त्र में ऐसे अनेक दृष्टान्त हैं जिनसे यह पुष्टि होती है कि कृषि भूमि पर राज्य का भी अधिकार होता था। 'मैगस्थनीज' के अनुसार सम्पूर्ण भारत राजकीय अधिकार में था, कृषिक इसे किराए पर जोतते थे। इस काल में राज्य, कृषि भूमि का विस्तार करने के लिए नवीन जनपदों एवं ग्रामों की स्थापना कर रहा था, भूमिदान कर रहा था तथा 'करद' जनसंख्या को बसा रहा था। निःसन्देह नवीन कृषि भूमि पर राज्य का ही अधिकार था। 'कौटिल्य' के अनुसार राजा को चाहिए कि वह ऋषि, आचार्य, पुरोहित आदि को भूमि दान में दे तथा उनसे कर न ले और न ही भूमि को वापस ले। इसी प्रकार कई विभागीय अधिकारियों को राजा भूमि दे, जैसे—गोपों (दस ग्रामों के अधिकारियों), स्थानिकों (नगर के अधिकारी), अनीकस्थों (हस्ति शिक्षकों), वैद्यों, अश्व शिक्षकों, जंघाकरिगें (दूर देश में जीविकोपार्जन करने वाले लोग) आदि, किन्तु इस प्रकार दान में दी हुई भूमि को ये दानगृहिता न तो बेच सकते थे और न ही गिरवी रख सकते थे¹⁹। राज्य के यह अधिकार भू-स्वामित्व को स्पष्ट करते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य को यह अधिकार था कि ऐसे किसान जो कृषि भूमि को जोते बिना परती कर डाले, उससे भूमि छीन कर अन्य से उस पर खेती करवाए²⁰। भूमि के अलावा राज्य को, ग्राम को भी अपने अधिकार में लेने का अधिकार था। इसके अतिरिक्त भू-खण्ड के स्वामित्व के विषय में झगड़ा हो और झगड़े करने वाले दोनों पक्ष या ग्राम वृद्ध कोई निर्णय न कर सकें तो उस भू-खण्ड के स्वामी का कोई वंशज न होने की स्थिति में भी राजा ही स्वामी होता था²¹। इन सबके बावजूद भी राजा द्वारा जो भूमि जब्त की जाती थी वह किसानों की निजी सम्पत्ति न होकर,²² वे भूमि खण्ड थे जिनमें सरकार नए उपनिवेश बसाती थी और जिन पर राज्य का पूर्ण अधिकार था मौर्य साम्राज्य

ने भूमि पर किसानों के अधिकारों को निर्मूल नहीं किया था। व्यक्तिगत रूप से कृषि अपनी भूमि की बिक्री, खरीद, रहन-सहन, दान देना आदि करने में स्वतंत्र थे। कृषि अपनी भूमि के भोक्ता के साथ-साथ स्वामी भी थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस काल में भू-व्यवस्था में भूमि का स्वामित्व किसान के पास भी था और राज्य के पास भी।

कृषि:

उपरोक्त विवरणों के आधार पर कहा जा सकता है, कि मौर्य काल में पूर्व की भांति कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी। 'इण्डिका' में भी भारतीयों के जाति समुह में दूसरी जाति कृषि वर्ग की थी, जो अन्य व्यवसायों के लोगों की तुलना में संख्या में अधिक थे और अपना सारा समय खेती में लगाते थे। ये युद्ध करने और अन्य राजकीय सेवाओं से मुक्त थे²³। इसी प्रकार 'एरियन' के अनुसार भारत के बहुत से लोग किसान थे जो अन्नोत्पादन द्वारा अपना जीवन निर्वाह करते थे। यहां तक कि समाज में किसान वर्ग इतना पवित्र और असहाय समझा जाता था कि युद्ध के समय कोई भी कृषि कार्य में लगे वर्ग को हानि नहीं पहुंचाता था। युद्ध में दोनों पक्ष एक-दूसरे का संहार करते थे, परन्तु कृषि में सलग्न लोगों को वे पूर्णतः निर्विघ्न रूप से अपना काम करने देते थे²⁴। कृषि कार्य अन्य व्यवसायों से इसलिए भी श्रेष्ठ था क्योंकि इससे मिलने वाला लाभ निश्चित था। 'कौटिल्य' ने राजा के लिए 'वार्ता' (कृषि, पशुपालन एवं व्यापार) का अध्ययन अनिवार्य माना था। 'कौटिल्य' के अनुसार यदि कोई किसान किसी कृषि भूमि को बिना जोते-बोए परती रखता है, तो राज्य द्वारा उस भूमि को उससे छीन कर किसी जरूरतमंद कृषिक को दे दी जाए और यदि खेती करने की शर्त पर कोई भूमि ले और खेती न करें तो राज्य द्वारा उससे जुर्माना वसूला जाए। इस समय कृषि की उपयोगिता एवं उसके विस्तार को इतना महत्व दिया गया कि कुछ विशेष स्थानों, जैसे-ब्रह्मरण्य, सोमारण्य, यज्ञस्थान, देवस्थान और पुण्य स्थान को छोड़ कर आवश्यकता पड़ने पर सभी जगह खेती करने की अनुमति थी²⁵। कृषि कार्य को समुचित ढंग से कराने के लिए राज्य द्वारा अनेक अधिकारियों की भी नियुक्ति की गयी, जैसे- समाहर्ता और सीताध्यक्ष। सीताध्यक्ष के लिए यह आवश्यक था कि कृषिशास्त्र, शुल्कशास्त्र (खेतों की नाप-जोख) और वृक्षविज्ञान (वनस्पतिविज्ञान) का उसे पूरा ज्ञान हो अथवा इन सभी विद्याओं के विशेषज्ञों को अपना सहायक बनाए²⁶। 'अशोक' के काल में 'प्रादेशिक' और 'रज्जुक' नामक अधिकारी भी कृषि तंत्र से जुड़े थे। शासकों द्वारा किसानों के लिए सिंचाई, खाद, भू-व्यवस्था, सुरक्षा आदि सभी सुविधाओं का उचित प्रबन्ध किया गया था। अतः संक्षेप में कहा जा

सकता है कि मौर्यकाल में कृषि अत्यन्त उन्नतावस्था में थी और मौर्य शासकों ने इसे अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बनाए रखा।

पशुपालन:

अर्थव्यवस्था के मुख्य घटकों में पशुपालन अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र अनुसार कृषि से संबन्धित समस्त कार्य पशुपालन पर निर्भर होते हैं। अतः जहां गाय और ग्वाले बहुसंख्या में होते हैं, वो क्षेत्र श्रेष्ठ होता है²⁷। पशु न केवल दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक थे, वरन् राज्य की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी जरूरी थे। बैल, हल चलाने के लिए जरूरी थे। गाय का गोबर खाद में प्रयुक्त होता था। इसके साथ-साथ गाय से दूध मिलता था, जिससे दुग्ध संबंधी खाद्य पदार्थों का निर्माण होता था। “कौटिल्य” अनुसार पशुधन के बँटवारे में ब्राह्मण पुत्र को बकरियां, क्षत्रिय को अश्व, वैश्य को गाय और शूद्रों को भेड़ें मिला करती थी²⁸। इससे पुष्टि होती है कि सभी वर्णों से सम्बन्धित लोगों द्वारा पशुपालन किया जाता था। राज्य की ओर से बड़ी संख्या में पशु पाले जाते थे, जैसे— गाय, बछड़े, बैल, सांड, भैंस, हाथी और घोड़े तथा वन्य पशुओं को भी पालतु बनाने के प्रयास किये जाते थे²⁹। अश्व पालन व हस्ति पालन पर राज्य का ही एकाधिकार था। हाथियों व घोड़ों का प्रयोग सवारी तथा युद्ध दोनों के लिए किया जाता था। हाथी दांत से भी विभिन्न प्रकार की आकर्षक वस्तुएं बनायी जाती थी। इसके अतिरिक्त ऊँट, गधे और सुअर भी पाले जाते थे। यूनानी लेखकों ने भारतीय कुत्तों की बहुत प्रशंसा की है³⁰। कुत्ते रखवाली, शिकार तथा अपराधियों का पता लगाने के लिए काम में आते थे। इस काल में पशुओं के लिए पशु शालाएं भी हुआ करती थी³¹। इसके अतिरिक्त राज्य द्वारा चारागाहों, गाय, बैलों, अश्वों तथा हाथियों के लिए क्रमशः विवीताध्यक्ष, गोडाध्यक्ष, अश्वाध्यक्ष तथा हस्त्याध्यक्ष संज्ञक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। पशु सुरक्षा के लिए अनेक विधियां अपनाई जाती थी। कृषि कार्य से सम्बन्धित पशुओं को किसी प्रकार की हानि पहुँचाने पर दण्ड दिया जाता था³²। ‘कौटिल्य’ ने मृग, बछड़ा, सांड, गाय, भैंसा, गैंडा, मोर तथा मछली मारने या पकड़ने का निषेध किया था और इस विधान के तोड़ने वालों के लिए कठोर दण्ड का प्रावधान किया था। अशोक के पांचवे स्तम्भ लेख में एक लम्बी तालिका दी हुई है जिसमें कुछ पशु-पक्षियों को अवध्य बताया हुआ है और कुछों को निश्चित तिथियों पर मारने पर मनाही है³³। अशोक के प्रथम शिलालेख के अनुसार उसने अपनी रसोई में प्रतिदिन हजारों की संख्या में मारे जाने वाले पशुओं पर रोक लगाई³⁴। शिकार खेलने पर भी मनाही थी। पशुओं की सुविधा के लिए जगह-जगह प्याऊ, चिकित्सालय तथा औषधियों की भी व्यवस्था कराई गई थी। सार रूप में कहा जा सकता है कि मौर्यकाल में पशुओं को अत्यन्त महत्व दिया गया था।

सिंचाई:

मौर्यकाल में सिंचाई की उत्तम व्यवस्था थी। जैसा कि 'मैगस्थनीज' ने कहा है कि भूमि का अधिकांश भाग सिंचित था। वर्ष में वर्षा दो बार होती थी। एक जाड़े में— गेहूँ बोने के समय, दूसरी गर्मी में— जब ब्रीहि, तिल एवं ज्वार की फसल बोने के समय। इस प्रकार पर्याप्त वर्षा के कारण मैदानों में नमी रहती थी। नदियों में पानी की उपलब्धता बनी रहती थी, इसी कारण गेहूँ, जौ, धान, ज्वार और दालें आदि का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता था³⁵। 'डायोडोरस' के अनुसार मैदानी भागों को सिंचाई के लिए जल की प्राप्ति, यहां बड़ी संख्या में विद्यमान नदियों द्वारा हो जाती थी, जिससे किसान एक वर्ष में दो फसलें प्राप्त कर लेते थे।³⁶ 'स्ट्रेबो' के अनुसार जाड़े तथा गर्मी की फसलों को प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से वर्षा जल प्राप्त होता था, जिससे अच्छी फसल के अतिरिक्त, प्रभूत मात्रा में फल भी होते थे।³⁷ "अर्थशास्त्र" में कृषिकों द्वारा सिंचाई के अनेक साधनों के उपयोग का उल्लेख है— नदी, नहर, तड़ाग, कुएँ द्वारा सिंचाई, डोल या चरस द्वारा कुएँ से पानी निकाल कर सिंचाई, बैलों द्वारा खींचे जाने वाले रहट या चरस द्वारा कुएँ से सिंचाई, वायु द्वारा संचालित चक्की द्वारा सिंचाई की जाती थी। अतः भूमि में उर्वरता बनी रहती थी। 'डायोडोरस' के अनुसार नदियों के जल से अथवा नियमित वर्षा के जल के कारण भूमि में आर्द्रता सर्वदा बनी रहती थी, जिसके कारण अनेक प्रकार की पैदावार सम्भव थी और जब गर्मी पड़ती थी तो दलदली भूमि में उपजने वाले कन्द—मूल पक जाते थे।³⁸ 'कौटिल्य' के अनुसार राजा का निर्देश था कि नदियों पर बाँध बनवाएँ और वर्षा के जल को बड़े-बड़े जलाशयों में भरवा दें ताकि यह जल सिंचाई के काम में लाया जा सके।³⁹ सिंचाई के लिए 'कौटिल्य' ने भी कुएँ, तालाब और नहर के जलों को उपयोग में लाने की सलाह दी थी।⁴⁰ मौर्य शासकों ने किसानों को सिंचाई कार्यों में सहायता देते हुए एक अलग से सिंचाई विभाग की स्थापना की थी। इन अधिकारियों का कार्य भू-मापन व नदियों की देखभाल करना था ताकि नालियों के माध्यम से नहरों का जल खेतों तक पहुँचाया जा सके और प्रत्येक कृषि क्षेत्र को जल की बराबर मात्रा मिल सके। 'कौटिल्य' के अनुसार सीताध्यक्ष का एक महत्वपूर्ण कार्य सिंचाई साधनों की देखरेख व पूर्ण व्यवस्था करना भी था।⁴¹ राज्य द्वारा बड़े पैमाने पर परती एवं बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के प्रयास किये गये।⁴² जिससे किसानों की सुख-समृद्धि में वृद्धि हुई तथा देश को धन-धान्य से सम्पन्न बनाया गया, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण और अशोक द्वारा सड़कों के किनारे प्रत्येक दो कोस की दूरी पर अनेक कुओं का निर्माण आदि का उद्देश्य मुख्यतः सिंचाई ही था क्योंकि प्याऊ की व्यवस्था तो अलग से थी।⁴³ 'कौटिल्य' द्वारा कृत्रिम जल स्रोतों के निर्माण तथा उनसे खेतों की सिंचाई करने के सम्बन्ध में कृषि की राजस्व नीति का भी वर्णन किया है, जैसे यदि किसान अपने धन या

बाहुबल से बनाए तालाब से सिंचाई करता है, तो उसे उपज का पांचवा हिस्सा; अपने कंधों पर जल लाकर सिंचाई करने पर उपज का चौथा हिस्सा और नहर या नालियां बनाकर सिंचाई करने पर उपज का तीसरा हिस्सा राजा को कर के रूप में देना पड़ता था।⁴⁴ इसके अतिरिक्त नए तालाब और सीमाबन्धों के निर्माण करने पर व्यक्ति को पांच वर्ष तक करों से छूट दी गई थी। यदि वह कृत्रिम जल स्रोतों का जीर्णोद्धार या पुनर्निर्माण करता है, तो उसे क्रमशः चार व तीन वर्ष तक करों से छूट प्रदान की गयी थी।⁴⁵ यही नहीं खेतों की सिंचाई के लिए पानी देने के उचित रास्तों को अवरुद्ध तथा अनुचित साधनों द्वारा जल ले जाने वाले के लिए दण्ड का विधान भी बनाया गया था।⁴⁶ इस राज्य की सिंचाई के प्रति सतर्कता, रुचि तथा योगदान के कारण ही मौर्यकालीन राज्य को सबसे बड़ा कृषि प्रधान राज्य माना गया है। राजाओं द्वारा सिंचाई के समुचित प्रबन्ध किये जाते रहे, जैसे हाथीगुम्फा अभिलेख से नंद शासक द्वारा तनशूलिपथ से कलिंग तक एक नहर निर्माण की पुष्टि होती है।⁴⁷ अशोक द्वारा सुदर्शन झील पर सिंचाई के लिए नालियों का निर्माण कराया गया था।⁴⁸ पुरातात्विक स्रोतों से कुम्रहार में 450 फीट लम्बी, 45 फीट चौड़ी एवं 10 फीट गहरी एक नहर का पुरावशेष मिला है, जो मौर्य काल का माना गया है। यह अनुमानित है कि यह नहर गंगा एवं सोन नदियों से जोड़ी गयी थी।⁴⁹ बेसनगर से नहरों के अवशेष प्रकाश में आए हैं।⁵⁰ इस प्रकार हम पाते हैं कि मौर्य काल में कृषि हेतु सिंचाई अत्यन्त उन्नतावस्था में थी। जिस कारण यहां फसल भी उच्च कोटि की होती थी और व्यापारी देश-विदेशों से आते थे, पाणिनाम स्वरूप अर्थव्यवस्था काफी मजबूत थी।

खाद्यान्न:

मौर्यकाल में उत्पन्न होने वाली फसलों का विवरण 'कौटिल्य' ने दिया है। इनके अनुसार वर्षा ऋतु के प्रारम्भ में 'शालि' (चावल), 'ब्रीहि' (चावल), 'कोदो', 'तिल', 'काँगनी' (चावल), 'दारुक' (दाल) एवं 'वरक' (मोठ) बोए जाते थे। वर्षा के मध्य में 'मूंग', 'उड़द', 'शिम्व' तथा वर्षा के अन्त में 'कुशुम्भ' (कुसुंवा), 'मसूर', 'कुलत्थ' (कुत्थी), 'यव' (जौ), 'गोधूम' (गेहूं), 'कुलथ' (चना), 'अंतसी' (अलसी) और सरसो बोए जाते थे।⁵¹ सभी फसलों में धान्य की फसल को सबसे उत्तम माना जाता था। क्योंकि इसमें परिश्रम और व्यय कम होता था और उत्पादन अधिक होता था। 'स्ट्रेबो' के अनुसार यहां सभी वर्ग में धान लोकप्रिय था। वर्षा आरम्भ होने से पहले ही धान के बीज डाल दिए जाते थे, बाद में उनकी रोपनी तथा सिंचाई का प्रबंध किया जाता था।⁵² धान के बाद 'कपास' महत्त्वपूर्ण उत्पाद था। यूनानी भारत में इसका उपयोग घोड़ों का जीन बनाने में करते।⁵³ ईख की फसल व्यय एवं श्रम साध्य होती थी, इसकी बुआई में भी अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते थे, इस प्रकार ये फसल निकृष्ट मानी जाती थी। फलों में आम, जामुन, अनार, अंगूर, नींबू आदि

का उत्पादन किया जाता था। इसके अतिरिक्त मरीच (मिर्च), अदरक, श्वेत सरसों, धनिया, जीरा, आँवला, बेर, झरबेरी, फालसा, कटहल आदि का उत्पादन होता था।⁵⁴ इस काल में भूमि के अनुसार भी फल बोए जाते थे, जो भूमि नदी के जल से जो आप्लावित हो जाती हो, उस पर पेठा, कटू, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज तथा लौकी आदि बोए जाते थे। जिस भूमि पर सिंचाई होती हो, उस पर पिपली, भृङ्गीका (अंगूर) तथा ईख बोयी जाती थी। जो भूमि कुओं के समीप स्थित हो, उस पर शाक और मूल आदि बोए जाते थे। जिस भूमि पर पहले तालाब रहे हों और जो इनके सूख जाने पर गीली रहती हो, उस पर धनिया, जीरा, खस एवं कचनार बोए जाते थे और क्यारियों एवं तालाबों की मेड़ों पर सुगन्धि, भैषज्य आदि पौधे बोए जाते थे।⁵⁵ यूनानी यहां के उत्पादों से अत्यधिक प्रभावित थे। डायोडोरस ने यहां तक कह दिया था कि कृषि जगत में जो भी उत्पाद ज्ञात हो चुके हैं। वह सभी भारत की भूमि में पैदा होते हैं। इसके अनुसार भूमि के ऊपर विविध प्रकार की फसलें उत्पन्न होती हैं और भूमि के अन्दर सभी प्रकार की वस्तुएं; जैसे सोना चँदी, तांबा, लोहा तथा अन्य। यहीं नहीं मक्का, बाजरा आदि मोटे अनाजों के साथ ही यहाँ उत्तम कोटी का दलहन, चावल तथा वास्पोरम भी पैदा होता है।⁵⁶ यहां अन्न का कभी अभाव नहीं रहा, पशुओं को भी अन्न खिलाया जाता था। गन्ने के रस तथा अंगूर से शराब बनायी जाती थी।⁵⁷

भू-राजस्व:

किसानों से मांगे जाने वाले भू-राजस्व का उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर सीधा प्रभाव पड़ता है। पूर्व की अपेक्षा मौर्यकाल में मांगे जाने वाले करों की संख्या और दर बहुत अधिक थी। इसका प्रमाण "अर्थशास्त्र" से मिलता है, जिसमें राज्य की आय के साधनों के अन्तर्गत करों की सूची प्राप्त होती है। विदेशी विवरणों से भी इस काल में किसानों पर लगने वाले करों के बारे में जानकारी मिलती है। 'एरियन' के अनुसार किसान भूमि जोतते हैं, कर देते हैं और स्वतन्त्र रूप से रहते हैं। इसी प्रकार 'डायोडोरस' के अनुसार— किसान, राजा को भूमि कर देते हैं क्योंकि भारत की सम्पूर्ण भूमि का स्वामी राजा है, किसी को भी व्यक्तिगत भूमि रखने का अधिकार नहीं था, भू-राजस्व के अतिरिक्त कृषि उत्पादन का एक चौथाई राजकीय खजाने में जमा करते थे। "अर्थशास्त्र" के अनुसार ग्राम के 5-10 अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया था, कि वे कई प्रकार के रजिस्टर बनाएं, जिनमें करमुक्त ग्राम, आयुधीय ग्राम के बारे में पूरी जानकारी एकत्रित करें तथा उन ग्रामों के बारे में भी जानकारी करें, जो विष्टि के रूप में कुप्य, दुग्ध, अनाज, पशु और हिरण्य के रूप में कर दिया करते थे।⁵⁸ इन रजिस्ट्रों में ग्राम की सीमाएं, मैदान, कृषि योग्य व कृषि अयोग्य भूमि आदि की सम्पूर्ण जानकारी लिखी जाती थी। इन गोप अधिकारियों का यह भी कार्य था कि ग्राम की जनसंख्या की सूची तैयार करके यह उल्लिखित करें कि कौन सा घर 'कर योग्य' है

और कौन सा 'कर मुक्त' है⁵⁹ और यह भी बताएं कि इन पर लगने वाला कर नकद है, विष्टि है, जुर्माना है अथवा पथकर है।⁶⁰ अतः किसानों की व्यक्तिगत सम्पत्ति पर भू-राजस्व लिया जाता था। इसके अतिरिक्त 'पिण्डकर' का उल्लेख भी किया गया है,⁶¹ जो गांव पर सामूहिक रूप से लगाया जाने वाला कर था,⁶² जो भू-राजस्व से भिन्न था। कृषि के अतिरिक्त सामूहिक रूप से उपयोग की जाने वाली भूमि, चारागाह, बागों, सड़कों आदि पर भी कर लिया जाता था।⁶³ 'कौटिल्य' के अनुसार राजा को प्रजा से सामान्यतः उपज का छठवां भाग ही कर के रूप में स्वीकारना चाहिए।⁶⁴ आपातकाल में यह दर बढ़कर एक तिहाई या एक चौथाई भी की जा सकती थी। "अर्थशास्त्र" के अनुसार गोप को गांव की भूमि को तीन भागों में बाँटना चाहिए, यथा— ऊँची भूमि, नीची भूमि और अन्य भूमि। इन्हीं के आधार पर अलग-अलग कर का निर्धारण करना चाहिए।⁶⁵ बिना भूसी निकले धान्यों का एक तिहाई से एक चौथाई भाग कर के रूप में लिया जाता था। इसी प्रकार कम गुणवत्ता वाली भूमि पर राजस्व दर कम थी।⁶⁶ सरकारी फार्मों में जो कृषि कार्य करते थे यदि उनके हल, बैल आदि अपने होते थे, तो राज्य उपज का आधा भाग कर के रूप में लेता था।⁶⁷ इसी प्रकार 'डायोडोरस' के अनुसार भू-राजस्व 1/6 भाग और सिंचाई कर 1/4 भाग लिया जाता था। राजा द्वारा कुछ विशेष परिस्थितियों में 'कर' की दर कम भी की जाती थी, जैसे— बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनीवन में अशोक ने भू-राजस्व की दर कम करके उपज का 1/8 भाग कर दिया था।⁶⁸ दुर्भिक्ष पड़ने की स्थिति में भी भू-राजस्व वसूल नहीं किया जाता था।⁶⁹ इस काल में किसानों से अनेक कर वसूल जाते थे, जैसे 'भाग', 'बलि', 'हिरण्य', 'उदक', 'प्रणय' आदि। 'भाग' भू-राजस्व का प्रमुख स्रोत था।⁷⁰ यह किसानों के उत्पादन पर लगने वाला राजकीय अंश था, यह अप्रत्यक्ष रूप से राजा और किसानों के बीच एक करार या अनुबन्ध था; बढ़ते हुए राजस्व की माँग पर भी राजा इसकी दर नहीं बढ़ा सकता था, यह नियमित भूराजस्व था, इसकी दर हमेशा 1/6 नहीं होती थी, यह 1/4 से 1/2 तक हो जाता था। "अर्थशास्त्र" के अनुसार 'बलि' उत्पादन पर लगने वाला एक छोटा-मोटा आवश्यक कर था। अभिलेखों में 'बलि' को एक धार्मिक शुल्क माना है।⁷¹ 'आयंगर' के अनुसार 'बलि' एक अतिरिक्त भू-राजस्व था, जो धार्मिक उद्देश्य से लिया जाता था, अतः यह एक नियमित कर था, जो किसानों पर हमेशा लगाया जा सकता था क्योंकि 'भाग' एक अनुबन्ध था जिसमें वृद्धि नहीं की जा सकती थी इसलिए बढ़े हुए करार्जन का माध्यम 'बलि' को बनाया गया था।⁷² 'हिरण्य' यह किसानों पर लगने वाला अनियमित अतिरिक्त कर था। इसकी दर 1/10 थी। 'उदक' यह जलकर था।⁷³ "अर्थशास्त्र" में यह उल्लिखित है कि राज्य जल के स्रोतों का निर्माण करता था, जो वर्ष भर वर्षा के जल व अन्य स्रोतों से भरे रहते थे। 'घोषाल'⁷⁴ ने इसे राजकीय खेतों पर कृषि करने वाले किसानों पर लगाया जाने वाला कर स्वीकार किया है किन्तु यह

गैर-राजकीय भूमि पर कृषि करने वाले किसानों से भी लिया जाता था।⁷⁵ 'प्रणय कर' राज्य पर आर्थिक सकंट की स्थिति में किसानों, व्यापारियों, शिल्पियों और पशुपालकों से यह वसलू जाता था, किसानों से यह कर भूमि की उपज का $1/4$ से $1/3$ तक होता था⁷⁶। इनके अतिरिक्त राजा के लिए किसानों को वर्ष में एक बार निश्चित समय के लिए बेगारी भी करनी पड़ती थी। "अर्थशास्त्र" में इसे अतिरिक्त करों की सूची में स्थान दिया गया है। राज्य को किसी प्रकार की राजस्व हानि न हो, इसके लिए यह नियम था कि किसान लगान देने वाले के यहां अपनी भूमि बेच या गिरवी रख सकता था। नियमों का उल्लंघन या कर न देने वाले के लिए दण्ड का प्रावधान था। इसके साथ ही 'कौटिल्य' ने राजा को यह निर्देश भी दिया था कि वह प्रजा से उतना ही कर ले, जितना वे चुका सकें।⁷⁷ राजा को देश व काल को ध्यान में रख कर ही लोगों पर कर आरोपित करना चाहिए क्योंकि राज्य को कर तभी प्राप्त होंगे, जब प्रजा उत्पादन करेगी।⁷⁸ निःसन्देह कर लेते समय मौर्य शासक जनता के भावों एवं उनकी क्षमता का पूरा ध्यान रखते थे। अतः स्पष्ट है कि इस काल में किसान अन्न, धन और श्रम तीनों प्रकार से राज्य को 'कर' देते थे।

महत्व:

मौर्यकाल में कृषि को न केवल आर्थिक दृष्टि से, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण माना गया। मौर्य शासकों ने कृषि को प्राथमिकता दी, क्योंकि इसकी समृद्धि राज्य के राजस्व को बढ़ाने के साथ-साथ नागरिकों के जीवन स्तर को भी सुधारती थी। मौर्यकाल में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर था, और इसका प्रत्यक्ष प्रभाव समाज की स्थिरता और समृद्धि पर पड़ता था। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि होने के कारण, मौर्य शासकों ने सिंचाई व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया। कुएं, जलाशय, नहरों और तालाबों का निर्माण किया गया, जिससे किसानों को जल की सुविधा उपलब्ध हो सके और कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हो। अशोक के शिलालेखों में जल संसाधनों के संरक्षण और सिंचाई परियोजनाओं का उल्लेख मिलता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कृषि को समृद्ध बनाने के लिए राज्य द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे थे।

निष्कर्ष:

मौर्यकालीन कृषि व्यवस्था ने न केवल आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया, बल्कि सामाजिक न्याय और स्थिरता को भी सुदृढ़ किया। इस प्रकार, कृषि का महत्व मौर्यकाल में केवल आर्थिक गतिविधि तक सीमित नहीं था, बल्कि यह साम्राज्य के समग्र विकास और उसकी दीर्घकालिक स्थिरता के लिए एक प्रमुख आधार था। मौर्य शासकों द्वारा कृषि की महत्ता को समझते हुए किए गए सुधार और योजनाएँ उनके कुशल और दूरदर्शी शासन की प्रतीक थीं, जो एक स्थिर, संगठित और समृद्ध राज्य के निर्माण में सहायक रहीं।

संदर्भ ग्रंथ एवं टिप्पणियाँ

- ¹ शर्मा आर. एस., *प्राचीन भारत का सामाजिक और आर्थिक इतिहास*, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 1996, पृ0 151-52.
- ² यजदानी जी., *दकन का प्राचीन इतिहास*, दि मैकमिलन कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड, तमिलनाडु, 1977, पृ0 61.
- ³ शर्मा आर. एस., *पूर्वोद्धृत*, पृ0 152.
- ⁴ मिश्र सतीश कुमार, यादव दयाराम, *प्राचीन भारत*, श्री नटराज प्रकाशन, दिल्ली, पृ0 107.
- ⁵ पाण्डेय, डॉ राजबली, *प्राचीन भारत*, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, 2015, पृ0 155.
- ⁶ भार्गव, वी. एस., *प्राचीन भारत का इतिहास*, एस. चांद पब्लिशिंग, दिल्ली, 2008, पृ0 137-38.
- ⁷ राय, डॉ. नन्दजी, *प्राचीन भारत में यातायात के साधन*, परिमल प्रकाशन, दिल्ली, 2020, पृ0 65.
- ⁸ अर्थशास्त्र, कौटिल्यकृत, सम्पा0 आर0 शामशास्त्री, मैसूर, 1901, 2.30.12.
- ⁹ अर्थशास्त्र, *पूर्वोद्धृत*, 2.8.
- ¹⁰ एरियन, एलेक्जेंडर के अभियान, अनु., पॉल एंटनी ब्रंट, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1953, 6-12 ; स्ट्रैबो, भूगोल, अनु., हेरोल्ड लैम्बर्ट जोन्स, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1923, 20.1.50-52.
- ¹¹ स्ट्रैबो, *पूर्वोद्धृत*, 15.1.29.
- ¹² अर्थशास्त्र, *पूर्वोद्धृत*, 2.24.1.
- ¹³ अर्थशास्त्र, *पूर्वोद्धृत*, 3.10.38-40.
- ¹⁴ अर्थशास्त्र, *पूर्वोद्धृत*, 3.10.38-41.
- ¹⁵ अर्थशास्त्र, *पूर्वोद्धृत*, 3.10.44.
- ¹⁶ मिश्रा, शोभा, *प्राचीन भारत में कृषक*, कला प्रकाशन वाराणसी, 2009, पृ0 106.
- ¹⁷ अर्थशास्त्र, *पूर्वोद्धृत*, 3.9.21.
- ¹⁸ मिश्रा, शोभा, *पूर्वोद्धृत*, पृ0 106.
- ¹⁹ अर्थशास्त्र, *पूर्वोद्धृत*, 2.1.8.
- ²⁰ अर्थशास्त्र, *पूर्वोद्धृत*, 2.1.12.
- ²¹ अर्थशास्त्र, *पूर्वोद्धृत*, 3.9.19.
- ²² अर्थशास्त्र, *पूर्वोद्धृत*, 1.14.5.
- ²³ मिश्रा, शोभा, *पूर्वोद्धृत*, पृ0 94.
- ²⁴ मिश्रा, शोभा, *पूर्वोद्धृत*, पृ0 125.
- ²⁵ मिश्रा, शोभा, *पूर्वोद्धृत*, पृ0 95.
- ²⁶ अर्थशास्त्र, *पूर्वोद्धृत*, 2.24.1.
- ²⁷ अर्थशास्त्र, *पूर्वोद्धृत*, 2.29.7.
- ²⁸ अर्थशास्त्र, *पूर्वोद्धृत*, 3.6.2.
- ²⁹ अर्थशास्त्र, *पूर्वोद्धृत*, 2.29.7.
- ³⁰ स्ट्रैबो, *पूर्वोद्धृत*, 15.1.31.
- ³¹ सहाय, डॉ शिव स्वरुप, *प्राचीन भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास*, मोतीलाल बनारसी दास, दिल्ली, 2012, पृ0 366.
- ³² सहाय, डॉ शिव स्वरुप, *पूर्वोद्धृत*, पृ0 367; अर्थशास्त्र, *पूर्वोद्धृत*, 3.19.43-45.
- ³³ अर्थशास्त्र, *पूर्वोद्धृत*, 2.29.
- ³⁴ सहाय, डॉ शिव स्वरुप, *पूर्वोद्धृत*, पृ0 367.
- ³⁵ गुप्ता, देवेन्द्र, *प्राचीन भारत समाज एवं अर्थव्यवस्था*, न्यू भारतीय बुक कॉरपोरेशन, दिल्ली, 2004, पृ0 465.
- ³⁶ डायोडोरस सिक्कुलस, बिब्लियोथेका हिस्टोरिका, अनु., चार्ल्स हेनरी ओल्डफादर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1933, 2.35.

- ³⁷ स्ट्रैबो, पूर्वोद्धृत, 15.1.19.
- ³⁸ डायोडोरस सिक्कुलस, पूर्वोद्धृत, पृ0 233.
- ³⁹ कौटिल्य, अर्थशास्त्र, पूर्वोद्धृत, 2.1.22–24.
- ⁴⁰ मिश्रा, शोभा, पूर्वोद्धृत, पृ0 118.
- ⁴¹ अर्थशास्त्र, पूर्वोद्धृत, 2.24.1.
- ⁴² अर्थशास्त्र, पूर्वोद्धृत, 2.24.1.
- ⁴³ मिश्रा, शोभा, पूर्वोद्धृत, पृ0 118.
- ⁴⁴ अर्थशास्त्र, पूर्वोद्धृत, 2.27.
- ⁴⁵ अर्थशास्त्र, पूर्वोद्धृत, 3.9.
- ⁴⁶ अर्थशास्त्र, पूर्वोद्धृत, 3.10.
- ⁴⁷ सरकार, डी0 सी0, *सलेक्ट इन्सक्रिप्सन्स*, 1, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, दिल्ली, 1957, पृ0 208.
- ⁴⁸ सरकार, डी0 सी0, पूर्वोद्धृत, 1, पृ0 176.
- ⁴⁹ *आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया रिपोर्ट*, 1954–55.
- ⁵⁰ *आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया रिपोर्ट*, 1914–15, पृ0 69–70.
- ⁵¹ गुप्ता, देवेन्द्र, पूर्वोद्धृत, पृ0 465.
- ⁵² *ज्योग्राफी ऑफ स्ट्रैबो*, पूर्वोद्धृत, 18, पृ0 251.
- ⁵³ *ज्योग्राफी ऑफ स्ट्रैबो*, पूर्वोद्धृत, 20, *क्लासिकल अकाउण्ट्स*, पृ0 253; *एरियन*, 16, पूर्वोद्धृत, पृ0 229–30.
- ⁵⁴ अर्थशास्त्र, पूर्वोद्धृत, 2.15.19.
- ⁵⁵ अर्थशास्त्र, पूर्वोद्धृत, 2.24.31.
- ⁵⁶ *ज्योग्राफी ऑफ स्ट्रैबो*, 18, *क्लासिकल अकाउण्ट्स*, पूर्वोद्धृत, पृ0 251.
- ⁵⁷ *ज्योग्राफी ऑफ स्ट्रैबो*, पूर्वोद्धृत, 22, पृ0 254.
- ⁵⁸ अर्थशास्त्र, पूर्वोद्धृत, 2.35.1.
- ⁵⁹ अर्थशास्त्र, पूर्वोद्धृत, 2.35.4, 10.
- ⁶⁰ अर्थशास्त्र, पूर्वोद्धृत, 2.15.2.
- ⁶¹ अर्थशास्त्र, पूर्वोद्धृत, 2.15.2.
- ⁶² अर्थशास्त्र, पूर्वोद्धृत, 2.6.3.
- ⁶³ अर्थशास्त्र, पूर्वोद्धृत, 2.6.3.
- ⁶⁴ अर्थशास्त्र, पूर्वोद्धृत, 5.2.17.
- ⁶⁵ अर्थशास्त्र, पूर्वोद्धृत, 5.2.22.
- ⁶⁶ मिश्रा, शोभा, पूर्वोद्धृत, पृ0 112.
- ⁶⁷ अर्थशास्त्र, पूर्वोद्धृत, 2.6.3.
- ⁶⁸ अर्थशास्त्र, पूर्वोद्धृत, 2.1.20.
- ⁶⁹ अर्थशास्त्र, पूर्वोद्धृत, 2.6.3.
- ⁷⁰ मिश्रा, शोभा, पूर्वोद्धृत, पृ0 123; अर्थशास्त्र 2.6.3.
- ⁷¹ मिश्रा, शोभा, पूर्वोद्धृत, पृ0 114.
- ⁷² अर्थशास्त्र, पूर्वोद्धृत, 1.13.7.
- ⁷³ अर्थशास्त्र, पूर्वोद्धृत, 2.1.22.
- ⁷⁴ घोषाल, यू0 एन0, *हिन्दू रेवेन्यू सिस्टम*, मुन्शी राम मनोहर लाल, दिल्ली, 1953 पृ0 31.
- ⁷⁵ मिश्रा, शोभा, पूर्वोद्धृत, पृ0 116.
- ⁷⁶ अर्थशास्त्र, पूर्वोद्धृत, 5.2.2.
- ⁷⁷ अर्थशास्त्र, पूर्वोद्धृत, 2.1.22.
- ⁷⁸ अर्थशास्त्र, पूर्वोद्धृत, 3.67.11.